



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plexh/Cir/382

दिनांक : 07.08.2026

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्यों को,

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 01.04.2026 के संबंध में एक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व पर इनपुट/टिप्पणियों के लिए अनुरोध

PLEXCONCIL को वाणिज्य विभाग (DoC) से एक संचार प्राप्त हुआ है जिसमें **अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 01.04.2026**, (https://membership.plasticsep.c.org/emails_images/20260807104614.pdf) के संबंध में एक संघ द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व पर हमारी टिप्पणियां मांगी गई हैं, जो **पॉलीयूरीथेन (एचएस कोड 39095000) पर शून्य मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) प्रदान करता है**।

रिप्रेजेंटेशन में ये रिक्वेस्ट हैं:

- शून्य बीसीडी लाभ की वापसी;
- **15.07.2026** से आगे छूट न बढ़ाना ; और
- कच्चे माल और तैयार माल पर ऊ्यूटी स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट।

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे ऊपर दिए गए मामले पर अपने विचार/कमेंट्स 07.08.2026 को दोपहर 2:00 बजे तक shilpa@plexconcil.org पर शेयर करें , **ताकि PLEXCONCIL** तय टाइमलाइन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स को अपना कंसोलिडेटेड जवाब दे सके।

सम्मान,

प्लेक्सकौन्सिल टीम